न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
98 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	06.12.2024

डॉ. मदन लाल गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री मनीष गोयल पुत्र श्री दौलत राम गोयल एफ.बी.ओ. मैसर्स गोयल एजेन्सीज बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 12 तेली मोहल्ल देवली जिला टोंक राज.। पिनकोड–304804 मोबाईल नं. 9414424653।

2–श्री राहुल कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज एन्टरप्राईजेज 27 कृष्णानगर मालोला रोड भीलवाडा। पिनकोड–311001 निवासी सी–107 चन्द्रवरदाई नगर सेक्टर–सी, अजमेर। पिनकोड–305001

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री राहुल कुमार के पिता श्री नरेश कुमार उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 06.12.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.04.2022 को समय 02:44 पी.एम. पर मैसर्स गोयल एजेन्सीज बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री दौलत राम गोयल उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री दौलत राम गोयल ने स्वयं को मैसर्स गोयल एजेन्सीज बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेज मैंगो स्लाईस ब्राण्ड (Ready to Serve Fruit Beverage Mango Slice Brand)** के 1.2–1.2 लीटर के 10 नग बोतल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री दौलत राम गोयल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मनीष गोयल पुत्र श्री दौलत राम गोयल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेज मैंगो स्लाईस ब्राण्ड (Ready to Serve Fruit Beverage Mango Slice Brand)** जिसके बैच नम्बर ए 5249बीओ2022 एवं पैकिंग की दिनांक 02.03.2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1.2–1.2 लीटर के 4 नग कुल 4.8 लीटर जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेज मैंगो स्लाईस ब्राण्ड (Ready to Serve Fruit Beverage Mango Slice Brand)** 1.2–1.2 लीटर के 4 नग मे 1–1 नग के नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3184 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3184 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोके पर नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री मनीष गोयल पुत्र श्री दौलत राम गोयल ने बतौर वारन्टी मैसर्स मनोज एन्टरप्राईजेज 27 कृष्णानगर मालोला रोड भीलवाडा का वारन्टी बिल नं. एमई–114 दिनांक 30.03.2022 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 1248 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस / 1774 / एक्ट / 2022 / 1897 दिनांक 20.05.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेज मैंगो स्लाईस ब्राण्ड (Ready to Serve Fruit Beverage Mango Slice Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री राहुल कुमार के पिता श्री नरेश कुमार उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। लैब रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर बैच नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था जिससे उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करते समय दिए गए फार्म नं. 5ए पर ही बैच नम्बर ए 5249बीओ2022 होना अंकित किया है, जो कि न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। आवेदक द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत आवेदन में भी बैच नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किये है। ऐसी स्थिति में उक्त खाद्य प्रदार्थ मिथ्याछाप स्तर का नहीं है एवं प्रकरण को खारिज किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेज मैंगो स्लाईस ब्राण्ड (Ready to Serve Fruit Beverage Mango Slice Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेज मैंगो स्लाईस ब्राण्ड (Ready to Serve Fruit Beverage Mango Slice Brand)** का नमूना लैब रिपोर्ट जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है एवं लैब रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर बैच नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था जबकि पत्रावली में संलग्न फार्म नं. 5ए की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ पर बैच नम्बर ए 5249बीओ2022 होना अंकित किया है। साथ ही आवेदन पत्र में भी आवेदक द्वारा बैच नंबर अंकित किया गया है।ऐसी स्थिति में ऐसा स्पष्ट होता है कि उक्त नमूने को लेते समय उसके लेबल पर बैंच नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित थे। अतः उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप स्तर का नहीं होना प्रतीत होता है।

फलतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0